(4)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष: आर. के. मिश्रा

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6141/2018/सतना/भू0रा0 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-09-18 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 774/अपील/17–18.

शेख सौकत पिता करीम बक्स मुसलमान
उम्र 54 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती
वार्ड नं0 12 अमरपाटन तहसील अमरपाटन
जिला सतना म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

शेख महबूब पिता करीम बक्स मुसलमान
उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम उमराही मथुरियान
तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 ---- अनावेदक

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय शुक्ला ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ऐनुल हसन सिद्दकी ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 08-01-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 774/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में एक आवेदन पत्र ग्राम मराही मथुरियान तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 स्थित भूमि सर्वे नंबर 128 रकबा 0.013 हैक्टर, 129 रकबा 1.185 हैक्टर एवं 130 रकबा 0.081 हैक्टर कुल किता 3 का 1/3 भाग के नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया

गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन कराया गया एवं आपत्तियां आमंत्रित की गईं तथा अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया । प्रकरण में इश्तहार पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीयलदार अमरपाटन ने आदेश दिनांक18-7-17 द्वारा आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के उपरांत तहसीलदार ने दिनांक 20-9-17 को अनअनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संहिता की धारा 32 के तहत कार्यवाही करते हुए अपनेपूर्व के आदेश दि नांक 18-7-17 को निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्धआवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने दिनांक 19-9-18 को आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार ने वरिष्ठ न्यायालय से पुनरावलोकन की अनुमति लिए बिना दिनांक 20-9-17 को आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है । उक्त आधार पर उन्होंने तहसीलदार का आदेश निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा पंजीबद्ध की जाकर अभिलेख बुलाये जाने के आदेश दिए हैं । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 18-7-2017 को पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के पूर्णत: अनुकूल है । उनके द्वारा उक्त आदेश को बिना सक्षम अधिकारी से पुनरावलोकन की अनुमति लिए संहिता की धारा 32 के तहत अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर निरस्त करना पूर्णत: विधि विरूद्ध है । अत: अनुविभागीय अधिकारी ने विधि के प्रश्न पर अपील को स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में विधिपूर्ण कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अनावेदक ने कोई कानूनी एवं विधिक आधार नहीं दिए गए हैं इसलिए अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील ग्राह्य योग्य नहीं थी । अपर आयुक्त ने विधि का परीक्षण किए बिना तथा इस संबंध में आवेदक की आपत्ति पर विचार किए बिना आदेश पारित किया गया है जबकि उन्हें विधि के प्रश्न के बिंदु के निराकरण करने के उपरांत ही दायरा आदेश दिया जाना चाहिए था । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार का आदेश उचित है । प्रकरण अभी अपर आयुक्त के यहां प्रचलित है जहां उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । अत: अपर आयुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । लिखित बहस में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार द्वारा दिनांक 20-9-17 को संहिता की धारा 32 के तहत पारित आदेश किन विधिक प्रावधानों के अनुसार उचित है और उसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा क्या विधिक त्रुटि की गई है इसका कोई लेख न करते हुए अन्य आधार दिए गए हैं ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्म अवलोकन किया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किए जाने तथा कोई आपत्ति प्राप्त न होने एवं अनावेदक के सूचना के उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक का नामांतरण आवेदन आदेश दिनांक 18-7-17 द्वारा स्वीकार किया गया है । उनके इस आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश के उपरांत दिनांक 20-7-17 को तहसीलदार ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करते हुए सक्षम अधिकारी से उक्त आदेश के पुनरावलोकन की विधिवत अनुमति प्राप्त किए तथा आवेदक को बिना सुने संहिता की धारा 32 के तहत निरस्त किया गया है जो पूर्णत: अवैधानिक कार्यवाही है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1988 आर0एन0 232 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

> "नामांतरण का पूर्व आदेश - धारा 32 के तहत पुन: प्रारंभ या पुनरीक्षत नहीं किया जा सकता - उचित उपचार अपील अथवा पुनरावलोकन है ।"

न्यायदृष्टांत 1988 आर0एन0 279 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

> " पूर्व का नामांतरण आदेश - अपील या पुनरावलोकन के उपचार का उपयोग नहीं किया गया ऐसा आदेश अंतनिर्हित शक्तियों के अधीन अपास्त नहीं किया जा सकता ।"

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1977 आर0एन0 67 नर्मदाप्रसाद बनाम कुंदनलाल में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :-

> "यदि संहिता के प्रावधानों का उपयोग न करतेहुए अन्तनिर्हित शक्त्यिों का प्रयोग किया जाता है तब ऐसा समझा जायेगा कि उस न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों को समाप्त किया जा रहा है जो अधिकारिता विहीन है।"

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि तहसीलदार द्वारा संहिता

की धारा 32 के तहत बाद में दिनांक 20-9-17 को पारित आदेश अवैध एवं विधि विरूद्ध है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतया विधिसम्मत कार्यवाही की गई है ।

6/ संहिता की धारा 44 (2) (बी) के प्रावधानों के अनुसार द्वितीय अपील निम्न आधारों पर ही प्रस्तुत की जा सकती है :-

(1) यह कि आदेश विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है, या

(2) यह कि आदेश द्वारा विधि या विधि का प्रभाव रखने वाली प्रथा संबंधी किसी सारवान विवाधक का अवधार नहीं हो सका है, या

(3) यहकि इस कोड द्वारा यथा-विहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है, जिससे कि गुणागुण के आधार पर मामले के विनिश्चय में गलती या त्रुटि उत्पन्न हो ।

अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील आवेदन को देखने से स्पष्ट होता है कि अपील में ऐसे कोई विधि के सारवान प्रश्न नहीं उठाये गये हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में क्या कानूनी एवं विधिक त्रुटि है केवल अन्य प्रकरणों के तथ्यों का लेख किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के द्वारा विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध पारित आदेश को वैधानिक प्रावधानों के तहत निरस्त किया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक के इस तर्क में बल है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिंदु का निराकरण किए बिना अपील को ग्राह्य करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-9-18 निरस्त करते हुए उनके समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-9-18 स्थिर रखा जाता है ।

8/01/19

(आर. के. मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर